हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

अदालत से

श्रावस्ती, संवाददाता। हत्या के दो आरोपियों को न्यायालय दोषी पाया। दोनों आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

पप्पू उर्फ तीर्थराज मिश्रा पुत्र शेषराज मिश्रा निवासी सचौली थाना पयागपुर जनपद बहराइच व जलालुद्दीन पुत्र मोहम्मद उमर उर्फ बाउर निवासी अहियाचेत थाना कौड़िया जनपद गोण्डा ने साल 2011 में श्रावस्ती के एक युवक की पट-पीटकर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता की तहरीर इकौना थाने में छह मई 2011 को हत्या का मामला दर्ज किया गया था और गिरफ्तार कर दोनों हत्यारोपियों को जेल भेज दिया गया था। साथ ही पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसके बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू हुई। 13 वर्षों से मामले का विचारण न्यायालय में चल रहा था। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया। जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद श्रावस्ती ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

तस्करों पर नकेल कसें : एसपी

निर्देश

- पुलिस कार्यालय सभागार में आयोजित हुई अपराध गोष्ठी
- एसपी ने समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण के दिए निर्देश

श्रावस्ती संवाददाता। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया की ओर से पुलिस कार्यालय सभागार में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। एसपी ने सबसे पहले विभिन्न थानों व शाखा से उपस्थित पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली। साथ ही संबंधित को समाधान का निर्देश दिया।

पुलिस अधीक्षक ने बीट पुलिस आरक्षियों से बीट क्षेत्र के बारे में जानकारी ली तथा बीट बुक पर क्षेत्र के सक्रिय अपराधियों का अंकन करने व नियमित निगरानी करने को कहा। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति अभियान पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए महिला बीट प्रणाली को मजबूत बनाएं। बीट क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखें और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा निर्धारित करें। लोगों से अच्छा व्यवहार करें। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पैदल गश्त करने, संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग करनें, मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करनें के साथ ही कच्ची शराब निष्कर्षण, परिवहन व बिक्री करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। अभियान के तहत लोगों को वातायात के लिए जागरूकता करने को निर्देशित किया। वहीं इस दौरान एसपी कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने पर एसओजी प्रभारी नितिन यादव, आरक्षी रिषभ गौड़, अभिषेक सिंह, वीरेंद्र यादव व सर्विलांस से अभिषेक सिंह को तथा कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी भीष्म यादव, राहुल भार्गव, पैरोकार मल्हीपुर आरक्षी गिरीश दिवाकर, पैरोकार सिरसिया रवि प्रताप, पैरोकार भिनगा सत्य प्रकाश को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। वहीं उत्कृष्ठ कार्य के लिए विशेष लोक अभियोजक उमाकांत त्रिपाठी व रोहित गुप्ता के साथ ही विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह व द्विजेन्द्र मिश्रा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर एएसपी प्रवीण कुमार यादव, सीओ सन्तोष कुमार, सीओ सतीश कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे।